[redacted]पित

न्यायालय : माननीय म0प्र0 राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रक्रकरण क्रमांक /2016 रिवीजन

जगन्नाथ सिंह आ0 श्री कमल सिंह निवासी–ग्राम आटासेमर, तहसील बासौदा जिला विदिशा (म0प्र0)

.... **निगरानीकर्ता**

बनाम्

श्रीमती रूपाबाई पुत्री श्री धन्नालाल पत्नी श्री कमल निवासी–रेलवे स्टेशन के पास, रेलवे स्टेशन के क्वार्टरों के पास, गुलाब गंज, जिला विदिशा (म0प्र0)

.... अनावेदिका

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959

वर्तमान निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष श्रीमान आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 143/अपील/2014–15 (श्रीमती रूपाबाई विरूद्ध जगन्नाथ) में दिनांक 08/08/2016 को पारित आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के तथ्य–

1– यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि, पक्षकारकगणों का संयुक्त खाता ग्राम आटासेमर तहसील बासौदा, जिला विदिशा स्थित आराजी क्रमांक 162 रकवा 1.233 हैक्टर, आराजी क्रमांक 167/1 रकवा 0.702 हैक्टर कुल रकवा 1.935 हैक्टर एवं इसी ग्राम में दूसरा खाता आराजी क्रमांक 161 रकवा 2.059 हैक्टर, आराजी क्रमांक 163/1 रकवा 1.045 हैक्टर आराजी क्रमांक 618 रकवा 0.042 हैक्टर कुल रकवा 3.146 हैक्टर हैं।

2– यह कि, आपसी सहमति के आधार पर पक्षकारों द्वारा बंटवारा कराया गया है और पंजी क्रमांक 2 पर संबंधित पक्षकारों द्वारा

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2941-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12/9/18	प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी आयुक्त भोपाल, संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 143/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा 26.04.2010 को सहमति के आधार पर ग्राम आटासेमर स्थित भूमि खसरा नं. 162 रकवा 1.233 हे., खसरा नं. 167/1 रकवा 0.702 हे., खसरा नं. 161 रकवा 2.059, खसरा नं. 163/1 रकवा 1.045 एवं खसरा नं. 618 रकवा 0.042 हे. का बंटवारा आवेदक जगन्नाथ अनावेदिका रूपाबाई एवं एक अन्य राजबाई के मध्य किया गया। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदिका रूपाबाई द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 12.12.2014 को अपील पेश की गई, जो उन्होंने अपने आदेश दिनांक 30.06.2015 द्वारा निरस्त की गई। इस आदेश के विरुद्ध अनावेदिका द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की गई, जिसमें आयुक्त द्वारा दिनांक 08.08.2016 को आदेश पारित करते हुए अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किए। आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है। 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण रिकॉर्ड के आधार पर किए जाने का निवेदन किया गया है। 4/ अनावेदक एकपक्षीय हैं। 5/ प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी आवेदक में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा जो बंटवारा आदेश पारित किया गया है वह सहमति के आधार पर पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि पंजी पर आवेदक, अनावेदिका रूपाबाई एवं एक अन्य खातेदार राजबाई के हस्ताक्षर से होती है। सहमति से पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। इस संबंध में 2014 आर.एन. 220 गुड्डी बाई तथा अन्य विरुद्ध बलवीर तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- धारा 44 तथा 178 - अपील चलाने योग्य होना। सहमति से विभाजन का आदेश - ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। इसी प्रकार 2007 आर.एन. 269 लालराम विरुद्ध नारायण तथा एक अन्य में निम्न लिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :- "धारा 44 तथा 178 - विभाजन का आदेश दोनों पक्षकारों की सहमति से पारित किए गए, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होगी" इसी आशय का न्याय सिद्धांत 2016 आर.एन. 182 दीपचन्त तथा अन्य विरुद्ध कट्टोबाई तथा अन्य में प्रतिपादित किया गया है। उभयपक्ष के मध्य सहमति से बंटवारा आदेश दिनांक 26.04.10 को पारित किया गया है। तब से अनावेदक द्वारा चार वर्ष तक उक्त आदेश के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाना इस तथ्य को बल देता है कि उभयपक्ष विचारण न्यायालय के आदेश के अनुसार भूमि पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं। अनावेदक द्वारा चार वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की जाना बाद की सोच है। और ऐसी कार्यवाही सद्भाविक नहीं ठहराई जा सकती। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1989 आर.एन. 14 दयाराम विरुद्ध हरचन्द में हय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि पारस्परिक विभाजन सद्भाव पर आधारित होता है, जिसे निरस्त नहीं किया जा सकता। अपर आयुक्त के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उपरोक्त वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि को अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है, जो न्यायिक नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2941-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	की जाती है तथा आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2016 निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2015 तथा विचारण न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी पर पारित आदेश दिनांक 26.04.2010 स्थिर रखे जाते हैं। उभयपक्ष सूचित हों, अभिलेख वापिस हो। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	